संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu

राजभाषा विभाग, सचिवालय / Rajbhasha Vibhag, Sachivalay

दमण / Daman

~~~~~~

सं. रा.भा. 7(10)/नराकास-अनु.कार्र./2014-15/216 दिनांक :- 11 /02/2015

सेवा में,

सभी कार्यालय अध्यक्ष,

एवं सदस्य, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,

दमण

विषय :- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इसके साथ संलग्न गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), मुंबई के उप-निदेशक (कार्यान्वयन) के पत्र सं. क्षे.का.का./मुंबई/19/बैठक/2015/1290, दिनांक14/01/2015 का अवलोकन करें ।

इस विषय पर सादर सूचित करना है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की मद सं. 22 के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, परंतु खेद की बाँत यह है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कुछ कार्यालय प्रमुख छमाही बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं । इसे संसदीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली तथा राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के सचिव ने गंभीरता से लिया है और अपना रोष भी प्रकट किया है ।

उनके निदेशानुसार सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख अपने नगर स्थित छमाही बैठक में अनिवार्यत: स्वयं भाग लेना सुनिश्चित करें तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तीन बैठकों में वे अपनी अनुपस्थिति का कारण 17/02/2015 तक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, ए-विंग, सी.वी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614 को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

इसलिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि वे पिछली तीन बैठकों में अपनी अनुपस्थिति के कारण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुंबई को भेजने के साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की होने वाली अगली बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा अप्रैल से सितम्बर एवं अक्तूबर से मार्च तक की अर्ध वार्षिक हिन्दी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में राजभाषा विभाग, दमण को हर छमाही समाप्ति के 07 दिनों के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें ।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता दें ।

भवदीय

11/2/2015

(अंतर्यामी परिड़ा)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक : क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुंबई से प्राप्त पत्र की प्रति ।

1. माननीय विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सचिवालय, दमण ।
2. श्री विनोद कुमार शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, ए-विंग, सी.वी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614
3. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कार्यालय, सचिवालय, दमण को इसे राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
4. कार्यालय प्रति ।
~~~~~~

टेलीफैक्स/Telefax 022- 27560225
ई मेल/E-mail – ddimpol-mum@nic.in

भारत सरकार
सत्यमेव जयते
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय [पश्चिम]
केंद्रीय सदन, छठा तल, सी विंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400 614
Government of India
Ministry of Home Affairs. Deptt. Of Official LanguageRegional Implementation Office (W)
Kendriya Sadan, 6 th Floor , Sector-10, CBD' Belapur, Navi Mumbai – 400 614

पत्र फा0 सं0 क्षेकाका/मुं/19/बैठक/2015/ 1290 दिनांक: 14.01.2015

सेवा में,

कार्यालय प्रमुख,

सदस्य कार्यालय संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्यता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 6,7 तथा 8.01.2015 को संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख उप समिति की पुणे,मुंबई और नागपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों तथा कुछ सदस्य कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ हुई विचार-विमर्श बैठक में तत्कालीन समिति के अध्यक्ष जी द्वारा दि गए निदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह जानने का निदेश हुआ है कि आपके नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में आपकी अनुपस्थिति देखी गई है । आपकी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में आपसे अनुपस्थिति के कारण को जानने का निदेश हुआ है आपके नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में अनुपस्थिति के कारण को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि आपके जवाब को संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली को यथा समय 8 फरवरी, 2015 तक भेजा जा सके ।

18 जनवरी, 1968 को संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प के अनुपालन में राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी किया जाता है । इस वार्षिक कार्यक्रम की मद संख्या-22 के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की छमाही बैठकों में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख छमाही बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में अपनी उपस्थिति को सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख प्राथमितकता दें तत्काल अपने विभाग की अन्य महत्वपूर्ण बठकों के समान ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करें । कार्यालयों प्रमुखों की छमाही बैठक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अनुपस्थिति को संसदीय राजभाषा समिति, सचिवालय, नई दिल्ली तथा सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग,नई दिल्ली ने गंभीरता से लिया है और अपना रोष भी प्रकट किया है । संसदीय राजभाषा समिति, सचिवालय, नई दिल्ली तथा सचिव, भारत सरकार,गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के निदेशानुसार सदस्य कार्यालयों के **कार्यालय प्रमुख अपने नगर स्थित नगर राजभाषा राजभाष कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक स्वंय अनिवार्यत: भाग लेना सुनिश्चित करें तथा गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक तीन बैठकों में वे अपनी अनुपस्थित का कारण तत्काल 30 जनवरी,2015 तक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय [पश्चिम] केंद्रीय सदन, छठा तल, ए विंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई 400 614 भिजवाना सुनिश्चित करें,** अनुपस्थिति के कारण की सूचना संसदीय राजभाषा समिति, सचिवालय, नई दिल्ली तथा सचिव, भारत सरकार,गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को समय से उपलब्ध करायी जा सके । **इस कार्य को प्राथमिकता दें ।**

भवदीय,

(विनोद कुमार शर्मा)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)
9930721863